संख्या:184/2015/235/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
अमेठी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 05 मई,2015

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमेठी में शासनादेश संख्या-1383/35-4-2013 दिनांक 04 अक्टूबर,2013 के द्वारा अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य की लागत रू.67.00 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 33.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या:398/त्व.आ.वि.यो./2014 दिनांक 23 फरवरी,2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त स्वीकृत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 33.50 लाख (रूपये तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर,2013 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
3- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्षक- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2014-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:184/2015/235(1)/35-4-2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/ कृषि /नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, फैजाबाद ।
7- मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी ।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी, अमेठी ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,अमेठी ।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in